





टीक-२७१०

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्यायिक अधिकारी एवं  
(समस्त न्यायिक अधिकारी)



आज दिनांक 07/12/24 को जिले न्यायालय में लिखा जाकर संन्याया गया।

होकर बादा तकमूल दाखिल दफ्तर हो।

की अवधि खतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शंभार प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकायी, टीक को भिजवायी जावे। प्रकरण में नियम नमाने को अधील करे। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नही करवाने पर शास्ति वर्सली की कार्यवाही हेतु निर्णय राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश हजारा रुपये) आरपित की जाती है। आभियुक्त उक्त दण्ड की रशि जाये चालान से विरुद्ध प्रदाना पत्र प्रमाणित होने से अपराधी पर कर्ज शास्ति रुपये 5,000/- (अक्षर पांच अन्तगत अपराध तथा धारा 51 के अन्तगत जमाने की श्रेणी में आता है। अतः अपराधी के व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के नमाने जांच में अवमानक (sub-standard) स्तर का होने पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा पत्रावली का अवलोकन किया। अपराधी के पास से लिया गया बर्फी (खिया बेस्ड स्वीट) का हसन अपराधी एवं परेकार सरकार की बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया व

इसलिए अपराधी को जारी जमाने से दण्डित किया जावे। जा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जमाने की श्रेणी में आता है, (स्वीट) का विकय कर रहे थे वह जांच में अवमानक(sub-standard) स्तर का होने पाया गया है पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अपराधी जिस बर्फी (खिया बेस्ड प्रेकार सरकार की बहस सूनी गई। परेकार सरकार ने बहस के दौरान प्रदाना

है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। किस्ती तरह दानिकारक नही है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कृष मानकों को पूरा नही करता उक्त खाद्य पदार्थ में किस्ती तरह की मिलावट/दोष नही है। यह मानव उपयोग के लिए अपराधी श्री श्याजी राम सूनी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपराधी को जसि नोटिस तलब किया गया।

किया

गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत धारा 3(1)(2x) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (sub-standard) स्तर का होने पाया मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया बर्फी (खिया बेस्ड स्वीट) एक.एस.एस.ए. की